

(414/11)  
12/12



राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक प.12(46)वित्त/राजस्व/2014

जयपुर, दिनांक 29 JAN 2015

**::आदेशः**

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.08.2014 के अतिक्रमण में सूचना का अधिकाधिक अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग के नियन्त्रणाधीन विभागों के संभाग/जिला कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी निम्नानुसार पदाभिहित किये जाते हैं:-

पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर विभाग

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) जयपुर अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) मुख्यालय, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, प्रथम अतिरिक्त निदेशक, जयपुर संभाग द्वितीय अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक वित्त कार्यालय	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

*(Handwritten Signature)*

(सुरेश चन्द्र चिनकर)  
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समन्वय) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

*(Handwritten Signature)*  
संयुक्त शासन सचिव